

प्रेषक,

हेमलता ढोंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान,
सचिवालय परिसर,
देहरादून ।

राज्य पुनर्गठन विभाग,

देहरादून: दिनांक: 30 नवम्बर, 2004

विषय:- राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों को उत्तरांचल वेबसाईट' में इन्ट्री करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत किये गये निम्नलिखित शासनादेशों को 'उत्तरांचल वेबसाईट' में इन्ट्री करने का का कष्ट करें :-

क्रमांक	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक
1-	राज्य सेवा संवर्गा के अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया व व्यवस्था ।	सं0-527/पु0अ0उ0/रा0प0स0/2001	05-05-2001
2-	राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 30-10-2002 को आयोजित बैठक के क्रम में उत्तरांचल द्वारा दोनों राज्यों की सहमति के बिना किसी कार्मिक को कार्यमुक्त न किया जाना ।	सं0-39/रा0प्र0/वि0का0अ0/45ए/2002	20-10-2002
3-	टेन्टेटिव अन्तिम आबंटन सूची(TFAL) में अंकित किये गये जि कार्मिकों के नाम विकल्प अथव मूल निवासी के आधार पर सम्मिलित किये गये हैं तथा जिन पर विवाद न हो ऐसे कार्मिकों को दोनों राज्य आपस समन्वय करके भारत सरकार द्वारा अन्तिम आबंटन आदेशों की प्रत्याशा में कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	सं0-219/रा0पु0/वि0का0अ0/04/2000	05-05-2004
4-	जिन-जिन विभागों में पदों का विभाजन एवं कार्मिकों का आबंटन से सम्बन्धित TFAL जो भी प्रकरण अवशेष रह गये हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के साथ बैठक करके अन्तिम करा लिये जाये ।	सं0-307/रा0पु0/वि0का0अ0/45-टी सी0/2003	02-07-2004
5-	टेन्टेटिव अन्तिम आबंटन सूची(TFAL) में अंकित किये गये जि कार्मिकों के नाम विकल्प अथव मूल निवासी के आधार पर सम्मिलित किये गये हैं तथा जिन पर विवाद न हो ऐसे कार्मिकों को दोनों राज्य आपस समन्वय करके भारत सरकार द्वारा अन्तिम आबंटन आदेशों की प्रत्याशा में कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।	सं0-310/रा0पु0/वि0का0अ0/45-टीसी/20003	03-07-2004

6-	उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कार्मिकों को अवमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित पत्रावली प्रमुख सचिव, पुनर्गठन उत्तरांचल शासन को भेजे जाने के सम्बन्ध में	सं०-372/रा०पु०/XXXVII /04/20001	31-07-2004
7-	विभिन्न सेवा संवर्गों के कार्मिकों के अन्तिम आबंटन से पूर्व कार्मिकों के सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हें समस्त अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में	सं०-394/रा०पु०/XXXVII /04/20001	12-08-2004

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

 (हेमलता डौडियाल)
 अपर सचिव